रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032024-253323 CG-DL-E-22032024-253323

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1449]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2024/चैत्र 2, 1946

No. 1449]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2024/CHAITRA 2, 1946

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2024

का.आ. 1518(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कर्नाटक राज्य में बी.पी.सी.एल. इरुगुर टर्मिनल, कोयम्बतूर से देवनगोंदि टर्मिनल, बेंगलुरु तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए:

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से सम्बद्ध है या उसमें हित रखता है, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन यथा जारी इस अधिसूचना की प्रतियां, जैसा कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता हैं और जिसे आम जनता को उपलब्ध कराया जाता है, की तारीख से 21 दिनों के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में यदि कोई आक्षेप है तो वह उसे सक्षम प्राधिकारी, मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इरुगुर-देवनगोंदि पाइपलाइन, देवनगोंदि रेलवे स्टेशन नजदीक, काडुगोडि के रास्ते, होसकोटे तालुक, बेंगलुरु- 560067 कर्नाटक राज्य, को लिखित रूपमें आक्षेप भेज सकेगा।

2197 GI/2024 (1)

<u>अनुसूची</u>						
जिला : बेंगलोर रुरल राज्य : कर्नाटक						
क्रम सं.	गांव का नाम	तालुक	प्लॉट सं॰	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
1	लिंगधीरमल्लसंद्रा	होसकॊटे	52/2	00	01	66
			31	00	19	82
			31(पक्का रास्ता <b>)</b>	00	02	05
2	देवनगोंदि	होसकॊटे	272	00	08	52
			271	00	04	00
			270	00	03	70
			269	00	04	49
			268	00	03	33
			267	00	04	21
			266	00	04	42
			134	00	04	84
			262	00	55	44
			151	00	21	90
			261	00	28	36
			152/4	00	10	03
			152/1	00	13	42
			153/3	00	08	33
			153/2	00	30	04
			154	00	01	94
			155 <b>(</b> तालाब <b>)</b>	00	22	98
			204/3	00	14	14
			204/8	00	01	71
			204/7	00	01	34
			204/6	00	01	28
			204/5	00	01	39
			204/2	00	00	89
			204/1	00	04	25
			206/6	00	03	75
			206/5	00	03	28
			206/4	00	03	59
			206/3	00	01	58
			रेल्वे ट्रैक	00	04	37

207	00	24	52
225/2	00	09	20
225/3	00	12	56
225/1	00	16	31
नाला	00	06	37
228/3	00	07	13
228/2	00	07	04
228/1	00	04	85

[फा. सं. आर-11025(15)/1/2019-ओआर-I/ई-29453]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

# MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2024

**S.O. 1518(E).**—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of petroleum products through BPCL Irugur Terminal, Coimbatore to Devangonthi Terminal, Bangalore Multi Product Pipeline Project in the State of Karnataka a pipeline should be laid by M/s Bharat Petroleum Corporation Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, M/s Bharat Petroleum Corporation Limited, Irugur-Devangonthi Pipeline, Near Devanagonthi Railway station, Hosakote Taluk, Bengaluru -560067 in the State of Karnataka.

	SCHEDULE					
Distric	District:- Bangalore Rural State :- Karnataka				ka	
Sl.	Nome of the Village	Taluk	Dlot No	Area		
No.	Name of the Village	Taluk	Plot No.	Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6	7
1	Lingadheeramallasa-ndra	Hoskote	52/2	00	01	66
			31	00	19	82
			31(Asphalt Road)	00	02	05
2	Devangonthi	Hoskote	272	00	08	52
			271	00	04	00
			270	00	03	70
			269	00	04	49
			268	00	03	33
			267	00	04	21

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINART		[f AK1 II—SEC. 3(II)]	
266 00	04	42	
134 00	04	84	
262 00	55	44	
151 00	21	90	
261 00	28	36	
152/4 00	10	03	
152/1 00	13	42	
153/3 00	08	33	
153/2 00	30	04	
154 00	01	94	
155 (Pond) 00	22	98	
204/3 00	14	14	
204/8 00	01	71	
204/7 00	01	34	
204/6 00	01	28	
204/5 00	01	39	
204/2 00	00	89	
204/1 00	04	25	
206/6 00	03	75	
206/5 00	03	28	
206/4 00	03	59	
206/3 00	01	58	
Railway Track 00	04	37	
207 00	24	52	
225/2 00	09	20	
225/3 00	12	56	
225/1 00	16	31	
Nala 00	06	37	
228/3 00	07	13	
228/2 00	07	04	
228/1 00	04	85	

[F. No. R-11025(15)/1/2019-OR-I/E-29453]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.